



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन-55/

दिनांक :

खुली निविदा सूचना सं. 03/2025-2026

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी को वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक की अवधि हेतु दर अनुबंध पर मानव संसाधन सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत एवं अनुभवी बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST), आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से डबल कवर सिस्टम (तकनीकी निविदा को लिफाफा नं. 1 में तथा वित्तीय निविदा को लिफाफा नं. 2 में सीलबंद कर) अन्य दस्तावेजों के साथ एक बड़े सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना) के अन्तर्गत मुहरबन्द खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	कार्य का नाम (अनुबन्ध आधार पर सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु)	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (Non Refundable)	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	बोली प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा जमा करान की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
1	02 (दो) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	5.10 लाख	रुपये 500 /-	10200/- (कार्य की अनुमानित लागत का 2%)	18.06.2025 (दोपहर 12.00 बजे तक)	18.06.2025 (दोपहर 02.00 बजे तक)	18.06.2025 (दोपहर 02.00 बजे)
2	02 (दो) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी						
3	01 (एक) सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)-						

- निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट अथवा SPP Portal से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि **Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board (Payable at Jaipur)** के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क Non Refundable है तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रस्तुत निविदा अस्वीकृत/निरस्त कर दी जायेगी।
- बोली प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Bundi, (Payable at Bundi)** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
- निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तों सम्बन्धी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी सामान्य कार्य दिवस में आकर एवं विभागीय वेबसाईट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी/प्राप्त की जा सकती है।
- इस निविदा की NIB No. **PCB2526A0027** एवं UBN No. **PCB2526 SSO B00029** हैं।

— Eo —
(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन-55/ 461

दिनांक : 11/08/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- Deputy Director (IT) Cum ACP, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करवाने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

प्रपत्र अ-तकनीकी बोली (Technical Bid) (लिफाफा नं. 1)

कार्य का नाम- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) की सेवाएँ किराये पर लिये जाने हेतु (निविदा सूचना संख्या 03/2025-2026)

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी की खुली बोली सूचना

संख्या-03/2025

2. बोलीदाता/संवेदक का नाम :

3. डाक का पता :

4. बोलीदाता फोन/मोबाईल नं.

5. ई-मेल :

6. बैंक का नाम :

बैंक आईएफसी कोड :

बैंक खाता संख्या :

7. किसको सम्बोधित किया गया है :- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी

8. निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये :- 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)

(निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी Member Secretary, Rajasthan State

Pollution Control Board के नाम Payable at Jaipur बनवाया जाये)

9. निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) हेतु दरें प्राईज शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।

11. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम

मोबाईल नं.

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

बून्दी (राजस्थान)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

12. बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी केन्द्र/राज्य/स्वायत्त संस्थाएं/निगम/मण्डल/समिति/आयोग में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी) का कम से कम एक वर्ष (12 माह) तक सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

क्रम संख्या	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारी) का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मचारी) की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी सतोषजनक सेवा का प्रमाण का अंकन
1	2	3	4	5
1				
2				

13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
14. निविदा खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होने पर/कार्यालय परिस्थिति के आधार पर निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।
15. राज्य में दिनांक 26-01-2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील हैं। अतः इस निविदा पर इस अधिनियम व नियम के सभी नवीनतम प्रावधान प्रभावशील होंगे।
16. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तीय वर्ष 2025-2026 की समाप्ति तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
17. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अनुबन्धित कार्मिकों की संख्या को कार्यालय आवश्यकता अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है एवं बोलीदाता/संवेदक को उक्त कार्मिक निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करवाने होंगे।
18. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र, जिला बून्दी (राजस्थान) होगा।
19. मैं/हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना क्रमांक 03/2025-2026 दिनांक 11.06.2025 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न निविदा दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली निविदा आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सही नाम.....

(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

खुली निविदा सूचना सं. 03/2025-26

(लिफाफा नं. 1)

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:-

क्र. स.	तकनीकी दस्तावेज विवरण	संलग्न है या नहीं (हां/नहीं)	संलग्नक क्रमांक	टिप्पणी यदि कोई हो तो
1	निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये हैं।			
2	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- डिमाण्ड ड्राफ्ट Member Secretary Rajasthan State Pollution Control Board के पक्ष में Payable at Jaipur संलग्न है।			
3	बोली प्रतिभूति राशि (2%) रु. 10200/- के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Bundi, Payble at Bundi के नाम से संलग्न है।			
4	जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण पत्र (GST)			
5	पैन कार्ड की प्रति (PAN Card)			
6	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी शपथ पत्र			
7	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत पंजीयन। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता शपथ पत्र प्रस्तुत करें)			
8	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (EPF) पंजीकरण			
9	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI) पंजीकरण			
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत			
11	स्वप्रमाणित बैंक खाता पास बुक/नवीनतम स्टेटमेन्ट/चैक की छाया प्रति।			
12	पूर्व या वर्तमान में आप द्वारा जिन राजकीय संस्थानों (न्यूनतम 1 वर्ष हो) में कार्य किया गया उनकी सूची (अनुभव प्रमाण आवश्यक रूप से संलग्न करें।) केवल कार्यालय-आदेश मान्य नहीं होगा।			
14	निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट/छांट या उपरिलेखन नहीं हो।			
15	ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. चालान व भुगतान रसीद की स्वप्रमाणित प्रति (नवीनतम छ माह) (किसी एक राजकीय संस्थान जहाँ अभी कार्यरत हो)			
16	बैंक सॉल्वेंसी/हैसियत प्रमाण पत्र			



(Regional Office)
Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन-55/

दिनांक :

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदा प्रपत्र में वर्णित की समस्त जानकारी/शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएँ तथा हमारे/मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

1. निविदादाता का नाम :
मोबाईल नम्बर :
2. पूर्ण पता :
.....
3. टेलीफोन नम्बर (निवास) :
(कार्यालय) :

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन.-55/

दिनांक :-

Annexure-- General Terms & Condition of Bid & Contract

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग-अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर, उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) किराये पर लिये जाने हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, डी.-15, ईश्वरी फ्रूट गार्डन के पास, न्यू कॉलोनी, बून्दी (राज.)" को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। हस्ताक्षर, सील की छायाप्रति स्वीकार्य नहीं होगी। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दरें शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावेगी, यदि दरें शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग दर्शायी जाती हैं तो राजकीय हित में दोनों में से जो कम होगी, वही दर मानी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये। निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं उपरीलेखन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा फॉर्म के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500/- (पाँच सौ रुपये) होगी, जो कि डी.डी. के रूप में Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur के नाम देय होगी।
7. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Bundi, Payable at Bundi के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर नियमानुसार स्टाम्प/स्टाम्प ड्यूटी लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
9. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
10. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Work Performance Security) :-
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश रकम की 5% (पाँच प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में Regional Officer, Rajasthan State Pollution

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

Control Board Bundi, Payble at Bundi के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एरा.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा किसी प्रकार का ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. निविदा प्रपत्र मय संलग्नकों के निविदादाता द्वारा सील लगा कर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
12. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व तथा श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार अनुबंधित कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय में अनुबंधित कार्मिकों को श्रम विभाग राजस्थान सरकार की नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढ़ाई जाती हैं तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निविदादाता/ठेकेदार को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को फर्म द्वारा पूर्व भुगतान किये जाने की पुष्टि होने पर/आधार पर किया जा सकेगा।
13. कार्य का अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जावे) पंजीकृत फर्म द्वारा ही निविदाएं भरी जावेगी।
14. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण स्वहस्ताक्षरित कर इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
15. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियां एवं टी.डी.एस. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।
16. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की सूची नाम, पते सहित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तथा समय-समय पर ठेके कर्मियों के परिवर्तन किये जाने/हो जाने की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, फोटोयुक्त पहचान कार्ड/वोटर आई. डी, न्यूनतम शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं आयु प्रमाण-पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

18. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
19. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
21. यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होंगे की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
22. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
23. कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नहीं दी जायेगी एवं उपापन संख्या में कमी या उपापन नहीं करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य होगा।
24. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
25. ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्य सम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्ज-खर्च की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियों को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के बिल से काट लिया जावेगा एवं 07 दिवस के नोटिस से

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो अनुबन्ध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी को होगा।

26. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नहीं देगा।
27. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
28. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह आदेश प्राप्ति के सात दिन के भीतर अथवा निर्धारित दिनांक से कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
29. मूल्यांकन की कसौटी-बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
30. बोली का अपवर्जन (Exclusion):-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
31. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):-
कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) का निर्णय अंतिम होगा।
32. भुगतान:-
सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
33. निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिकों को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना/पहनना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
34. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियों की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा। कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, धूम्रपान/गुटका/पान/शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
35. स्वीकृत ठेके की अवधि का भविष्य में अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसी जमा करने हेतु बाध्य रहेंगे।
36. सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार में दोषी पाये गये कार्मिकों को नहीं रखा जावेगा।



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

(निविदा क्रमांक 03/2025-2026)

—: कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवाओं के लिये निविदा की विशिष्ट शर्तें एवं नियम :-

1. शैक्षणिक योग्यता :-

- कम्प्यूटर ऑपरेटर को विडोज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।
- कम्प्यूटर ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
- कम्प्यूटर ऑपरेट कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।
- कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

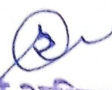
2. मशीनों का विवरण :-

निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

- Computer-Intel Core i3/i5/i7/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 4/8 GB OR higher, Hard disk 1 TB or more I5/I7" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps Lan card, CD/DVD writer standards keyboard, Wi-Fi Connectivity, Audio output, optical mouse, USB Ports, Windows 10 or higher Operating System, Licensed and valid Anti Virus Software, Preinstalled MS office, responsibility of license of any software will be borne by the contractor.
- Printer:-Black and White laser printer with speed 15 PPM or more, for specific needs.
- UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
4. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार मान्य होगा।
5. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30-04-2018 के अनुरूप होगी।
6. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक वाहे ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन कार्मिक के मानदेय के आनुपातिक आधार पर कटौती की जावेगी।
7. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
8. कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवाना अनिवार्य होगा।
10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।
11. कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव रखने वाली पंजीकृत संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम _____


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन-55/

दिनांक :

—: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा के लिये निविदा के विशिष्ट नियम एवं शर्तें:—

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय (अंशकालीन आधार पर) कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एवं चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. बून्दी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
10. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, बून्दी न्यायालय ही रहेगा।
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. बून्दी के पास सुरक्षित रहेगा।
12. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

दिनांक :

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन-55/

- : सफाई कार्मिक (अंशकालीन आधार पर) की सेवा के लिये निविदा के विशिष्ट नियम एवं शर्त:-
1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (अंशकालीन आधार पर) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 2. किसी भी सफाई कार्मिक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कार्मिक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
 3. कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा-जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी-पेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
 4. निविदादाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
 5. सफाई कार्मिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
 6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
 7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
 8. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
 9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
 10. नियमानुसार आयकर की कटौती निविदादाता को देय भुगतान से की जावेगी।
 11. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
 12. सफाई कार्मिक की संख्या को घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. बून्दी के पास सुरक्षित रहेगा।
 13. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
 14. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण-पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
 15. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
 16. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नहीं जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा। यदि फर्म/ठेकेदार के सफाई कार्मिक कार्य के दौरान कार्यालय की किसी चल/अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल/प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील


क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail :rorpcb.bundi@gmail.com

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to RO, RSPCB Bundi for procurement of Hiring of Manpower in response to their Notice Inviting Bids No. 03/2025 Dated 11-06-2025 I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Accounts, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition:

Date:.....

Place:.....

Signature of bidder

Name:.....

Designation:.....

Address:.....


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary, RSPCB Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairperson, RSPCB Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality;


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

(5) **Form of Appeal**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter;
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No

of.....

Before the (First
/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place:.....

Date:.....

Appellant's Signature


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

दिनांक:

क्रमांक :- रा.प्र.नि.म./क्षे.का.बून्दी/जन.-55/

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
- iv. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.
- ii. If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राजस्थान)



(Regional Office)

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

प्रपत्र-ब वित्तीय निविदा (Financial Bid)

(लिफाफा नं. 2)

कार्य का नाम- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) की सेवाएँ किराये पर लिये जाने हेतु

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	कुल राशि रु. (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	उच्च कुशल	9334/- (प्रति कार्मिक)	13.00% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)			
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	7410/- (प्रति कार्मिक)	13.00% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)	-		
3	सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)	अकुशल	3705/- (प्रति कार्मिक चार घण्टे प्रतिदिन तक)	13.00% (नियोक्ता)	3.25% (नियोक्ता)	-		

- उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या (1) हेतु स्तम्भ संख्या 4,7,8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ अंकित की जायेगी। न्यूनतम मजदूरी की दर स्तम्भ संख्या 3 में उल्लेखित दरों से कम स्वीकार नहीं की जावेगी।
- उपर्युक्त तालिका के क्रम संख्या (2) एवं क्रम संख्या (3) हेतु स्तम्भ संख्या 4, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ अंकित की जायेगी, जो कि न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
- संवैदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में देय राशि न्यूनतम 01 (एक) रुपये से कम नहीं भरी जावेगी। राशि शून्य (0), ऋणात्मक (-) अथवा 01 (एक) रुपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)